

2018/00280

महोदयजी,
ग्राम जालखंडा की जमाबंदी (संवत् 2071-74) के क्रमांक 154 में बाली बाई बेवा बालचन्द अर्पि (ये) जो कि सम्मानजनक रही है/किंतु बाली बाई धर्मपति बालचन्द किये जाता उचित है

20/5/18
पटवारी
जालखंडा

28/5/18
30-5-18
I.A.R. बसि/बसि

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार
रिपोर्ट पटवारी हल्का व क्र. क्र. कि के आधार पर
बेवा का धर्मपति किये जाता उचित है।

तहसीलदार
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

प्रा.सं 360/18

आदेश

30/05/2018 इस्व राय तहसीलदार रावतभाटा के आधार पर
ग्राम जालखंडा की जमाबंदी संवत् 2071-74 के
खाना संख्या 154 में बाली बाई बेवा बालचन्द के
बजाय बाली बाई धर्मपति बालचन्द रजि डिमें
जाने के आदेश दिए जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा